नीट यू0जी0 2018 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न (F.A.Q)

प्रश्न– 1 मैंने प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में अपनी च्वाईस भरी थी, किन्तु मुझे सीट नहीं मिली क्या मैं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकता हूँ।

उत्तर– हॉ, आप द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है इसके लिये आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

प्रश्न–2 मैंने च्वाईस भरी और सीट भी मिली पर मैं संबंधित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता हूँ तो क्या मैं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकता हूँ।

उत्तर– हाँ, आप द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। (Free Exit)

प्रश्न–3 मैंने प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया। क्या मैं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ?

उत्तर– हाँ, आप नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस एवं सिक्योरिटी मनी (security money) ऑन–लाईन जमा कर द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

प्रश्न–4 मुझे प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में सीट मिली। क्या मैं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेड करा सकता हूँ?

उत्तर– हाँ, आप प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर समयान्तर्गत प्रवेश लिये जाने पर द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग कर सकते हैं मगर इस हेतु द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अपनी च्वाईस ध्यानपूर्वक भरें अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है, तो आपकी प्रथम चरण की प्रवेशित सीट को रिक्त मानकर किसी अन्य अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम में आवंटित कर दिया जायेगा तथा उक्त सीट पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा। और द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर आपको प्रवेश लेना होगा, अगर आप प्रवेश नहीं लेते तो आपकी जमा सिक्योरिटी मनी (security money) जब्त कर ली जायेगी। परन्तु आप मॉप–अप चरण की काउन्सिलिंग हेतु पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी मनी (security money) ऑन–लाईन जमा कर नवीन पंजीकरण करते हुए मॉप–अप चरण में प्रतिभाग कर सकते हैं।

प्रश्न–5 मुझे प्रथम चरण काउन्सिलिंग में सीट मिली है और मैं द्वितीय चरण के आवंटन बाद निर्णय लेना चाहता हूँ कि मैं प्रथम चरण की काउन्सिलिंग की सीट को छोडूंगा या रखूंगा।

उत्तर– आप को जो भी निर्णय लेना है, 23 जुलाई, 2018 सायं 05:00 बजे तक लेना होगा। उसके बाद आप सीट नहीं छोड सकेंगे हाँ अगर आप 23 जुलाई 2018 से पहले सीट छोड देते हैं तो आप पुनः नियमानुसार द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते हैं।

नए नियमों के अनुसार छात्र को संबंधित चरण की काउन्सिलिंग समय–सारणी के अनुसार निर्णय लेना होगा कि वह प्रथम चरण की आवंटित सीट को रखना चाहता या छोड़ना चाहता है, अगर कोई छात्र प्रथम चरण की आवंटन से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस प्रवेशित सीट को दिनांक

23.07.2018 को सायं 05:00 बजे तक छोड़कर द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकता है तथा वह मॉप–अप चरण के लिये भी अर्ह होगा।

अगर छात्र दिनांक 23.07.2018 सायं 05:00 बजे तक प्रथम चरण की आवंटित सीट नहीं छोडता है और उसकी सीट द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में अपग्रेड नहीं होती है तो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उसे द्वितीय चरण के उपरान्त सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। और वह आगे के काउन्सिलिंग चरण में भी प्रतिभाग नहीं कर सकता।

प्रश्न–6 मेरे द्वारा द्वितीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया गया, परन्तु मेरी सीट अपग्रेड नहीं हुई। तो क्या मेरा पूर्व में प्रवेशित सीट पर अधिकार बना रहेगा या नहीं।

उत्तर– हाँ, द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन न होने की दशा में आपका पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। प्रथम चरण में प्रवेशित सीट को आपको छोड़ने का अधिकार नहीं होगा।

प्रश्न–7 प्रवेशित सीट को अभ्यर्थी कब तक छोड़ (रिक्त कर) सकता है?

उत्तर– दिनांक 23.07.2018 सायं 05:00 बजे से पूर्व तक अभ्यर्थी अपनी प्रथम चरण में प्रवेशित हुई सीट को छोड़/रिक्त कर सकता है। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त अभ्यर्थी किसी भी काउन्सिलिंग चरण में प्रवेशित सीट को अभ्यर्थी छोड़/रिक्त नहीं कर सकता।

प्रश्न–8 मुझे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होती है और मेरे द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है?

उत्तर– अगर आपको द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होती है और आप द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपकी जमा सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जायेगा।

परन्तु आप नियमानुसार निर्धारित रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी मनी (security money) पुनः जमा कर माप–अप चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

प्रश्न–9 प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट अपग्रेडेशन की व्यवस्था किस काउन्सिलिंग चरण तक अनुमान्य होगी?

उत्तर– केवल प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन की व्यवस्था अनुमान्य होगी। द्वितीय चरण के उपरान्त आगामी चरणों में अपग्रेडेशन की व्यवस्था अनुमान्य नहीं होगी।